

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-सं.3(4)(2)संविदा/च.श्रे.कर्म./अभि/2019/12581-625

दिनांक 17/09/19

- आदेश -

अभियोजन विभाग में काफी संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण जिला स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में कार्य करने के लिये सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए.2/94 दिनांक 08.02.2018 में वर्णित शर्तों के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी.नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है इसलिये उच्च पद से सेवा निवृत्त कार्मिक की यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड पे से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड पे के अनुसार (परिशिष्ट-क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में राज्य कार्य करने हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर तुरन्त प्रभाव से संविदा पर अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्त से पूर्व विभाग का नाम	स.नि.अ.कार्यालय जिसमें नियुक्ति की जानी है।	विशेष विवरण
1.	2	3	4	5	6
1.	श्री बाबूलाल	28.02.1958	सनिअ झुंझुनु	झुंझुनु	प्रथम बार
2.	श्री ईश्वरी प्रसाद	09.05.1958	सनिअ भरतपुर	भरतपुर	प्रथम बार
3.	श्री तेज सिंह	18.04.1958	सनिअ उदयपुर	उदयपुर	प्रथम बार
4.	श्री कैलाश चन्द यादव	01.07.1958	सनिअ अलवर	अलवर	प्रथम बार
5.	श्री कजोडमल जाटवा	13.09.1958	सनिअ-प्रथम जयपुर शहर	जयपुर शहर प्रथम	प्रथम बार
6.	श्री राजेन्द्र कुमार	30.09.1958	सनिअ कोटा	कोटा	प्रथम बार
7.	श्री मनोहर सिंह	01.07.1955	जल संसाधन विभाग राजसमन्द	राजसमन्द	प्रथम बार (कार्यग्रहण की दिनांक से 30.06.2020 तक)
8.	श्री शंकरलाल शर्मा	01.07.1955	जिला एवं सेशन न्यायाधीश भीलवाडा	भीलवाडा	प्रथम बार (कार्यग्रहण की दिनांक से 30.06.2020 तक)
9.	श्री लालसिंह	12.04.1956	सनिअ जोधपुर	जोधपुर	प्रथम बार
10.	श्री मदनलाल बरी	26.01.1959	सनिअ-प्रथम जयपुर शहर	जयपुर शहर प्रथम	प्रथम बार
11.	श्री गट्टु खराडी	28.01.1958	सार्वजनिक निर्माण विभाग डूंगरपुर	डूंगरपुर	प्रथम बार

16/9


12.	श्री हरीराम	22.01.1959	सनिय जालोर	जालोर	प्रथम बार
13.	श्री मनोहर लाल तेली	10.04.1959	सनिय उदयपुर	उदयपुर	प्रथम बार
14.	श्री पृथ्वीराज मेघवाल	21.06.1957	राजस्व विभाग, सलुम्बर उदयपुर	उदयपुर	प्रथम बार
15.	श्री अमरचद भांभी	01.11.1958	समादेष्टा गृह रक्षा प्रशिक्षण विभाग, अजमेर,	अजमेर	प्रथम बार
16.	श्री कारूलाल कोटेड	02.04.1959	पुलिस अधिक्षक कार्यालय, डूंगरपुर	डूंगरपुर	प्रथम बार
17.	श्री इन्द्र सिंह	18.01.1959	सनिय पाली	पाली	प्रथम बार
18.	श्री मोहन लाल	04.05.1962	रा.उ.माध्य. विद्यालय अन्ता, बारों	बारों	प्रथम बार
19.	श्री कुंभाराम	02.03.1959	सनिय नागौर	नागौर	प्रथम बार
20.	श्री श्योराम	10.04.1959	सा.नि.वि. गांधी नगर जयपुर	अभियोजन निदेशालय	प्रथम बार
21.	श्री उदयलाल मेनारिया	18.08.1957	सनिय उदयपुर	उदयपुर	द्वितीय बार
22.	श्री मोतीलाल साधू	30.12.1956	सनिय उदयपुर	उदयपुर	द्वितीय बार
23.	श्री पूरण दास वैरागी	19.09.1957	सनिय उदयपुर	उदयपुर	द्वितीय बार
24.	श्री अमर सिंह	15.11.1957	सनिय-प्रथम, जयपुर शहर	जयपुर शहर प्रथम	द्वितीय बार
25.	श्री कैलाश चन्द छीपा	08.10.1956	न्याय विभाग, भीलवाडा	भीलवाडा	द्वितीय बार
26.	श्री चन्द्र प्रकाश बरेगामा	06.07.1956	जल संसाधन विभाग बैगू चित्तौडगढ	चित्तौडगढ	द्वितीय बार
27.	श्री पूरणदास	15.05.1957	सनिय डूंगरपुर	डूंगरपुर	द्वितीय बार
28.	श्री राधेश्याम शर्मा	14.03.1956	चिकित्सा विभाग, जोधपुर	जोधपुर	द्वितीय बार
29.	श्री खीवाराम	23.09.1956	सनिय झुझुनू	झुझुनू	द्वितीय बार
30.	श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल	11.10.1957	जिला कलेक्टर, अजमेर	अजमेर	द्वितीय बार
31.	श्री प्रेम लाल भील	02.02.1958	सनिय अजमेर	अजमेर	द्वितीय बार
32.	श्री रघुवीर सिंह चौहान	15.07.1957	जलदाय विभाग, बैगू चित्तौडगढ	चित्तौडगढ	द्वितीय बार
33.	श्री सीताराम शर्मा	30.06.1957	सनिय करौली	करौली	द्वितीय बार
34.	श्री भंवर सिंह राजपूत	25.07.1957	सनिय करौली	करौली	द्वितीय बार
35.	श्री पूरणदास गोस्वामी	15.05.1957	सनिय डूंगरपुर	डूंगरपुर	द्वितीय बार
36.	श्री रामूराम	28.03.1957	सनिय नागौर	नागौर	द्वितीय बार
37.	श्री सोहन सिंह राठौड	09.07.1957	सनिय राजसमंद	राजसमंद	द्वितीय बार

1. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए-II/94 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में नियुक्ति आदेश सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेंगे।
2. पुनः नियुक्त अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में राशि रुपये 500/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
3. चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
4. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्य व्यवस्था के लिये निर्देशित कर सकता है।
5. पुनः नियुक्ति सेवा निवृत्त कर्मचारियों की सेवा उक्त आदेश के जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है। संविदा पुनर्नियुक्ति सेवार्थें किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।

16/19


5. पुनः नियुक्ति सेवा निवृत्त कर्मचारियों की सेवा उक्त आदेश के जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है। संविदा पुनर्नियुक्ति सेवायें किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
6. इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014-00-114-02-01(01) संवैतन व्यय (स्टेट फण्ड) से प्रभार्य होगा।
7. यह आदेश प्रशासनिक विभाग गृह(ग्रुप-10)विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी.संख्या RAJ-E 00085/गृह-10/ दिनांक 13.09.2019 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें, तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।


(एस.एन.व्हास)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अनुभागाधिकारी, गृह(ग्रुप-10)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
3. सहायक निदेशक अभियोजन.....।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन।
5. लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली


निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर